भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 817

07 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

आन्ध्र प्रदेश में 'संवर्धित पोषणयुक्त चावल कार्यक्रम'

817. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में 'संवर्धित पोषणयुक्त चावल कार्यक्रम' के अंतर्गत शामिल किए गए विभिन्न जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में लोगों को वितरित किए गए राइस कर्नेल का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के रोगियों को आयरन संवर्धन युक्त चावल वितरित करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई चेतावनी की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वितरण की भली-भांति निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने इसके उपभोग के प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): आंध्र प्रदेश के सभी 26 जिलों को चावल फोर्टिफिकेशन पहल के तहत शामिल किया गया है।

(ख): चावल फोर्टिफिकेशन भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के द्वारा निर्धारित सूक्ष्म पोषक तत्व (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12) युक्त फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (एफआरके) को सामान्य चावल/कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर) में 1:100 के अनुपात में (1 किलोग्राम एफआरके को 100 किलोग्राम सीएमआर के साथ मिलाना) मिलाने की प्रक्रिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आंध्र प्रदेश में कुल लगभग 12.82 लाख टन फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया है। फोर्टिफाइड चावल का जिलेवार वितरण **अनुबंध-I** में दिया गया है

(ग) और (घ): भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

(ड.): भारत सरकार के हस्तक्षेप पर, विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने जिलों में लोगों को शिक्षित करने के लिए सेमिनार/कार्यशाला आयोजित किए हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा अन्य हितधारक जैसे फील्ड विशेषज्ञ, चिकित्सा पेशेवर, मीडिया के सदस्य, विशिष्ट व्यक्तियों, स्थानीय नेताओं और विकास भागीदारों आदि की भागीदारी से चावल के फोर्टिफिकेशन के संबंध में उचित जागरूकता पैदा करने के लिए आदिवासी आबादी वाले जिलों में नौ ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

...2/-

भारत सरकार ने खाद्य संरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन) पहला संशोधन विनियम, 2021 शीर्षक से दिनांक 27 अगस्त 2021 को एफएसएसएआई राजपत्र अधिसूचना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी संबंधितों के संज्ञान में लाने और सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रसारित की थी, जिसमें यह जानकारी थी कि "आयरन से फोर्टिफाइड भोजन के प्रत्येक पैकेज पर एक कथन होगा- थैलेसीमिया के रोगी इसे चिकित्सकीय देखरेख में ले सकते हैं और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों को आयरन फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों का सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है"। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे उचित दर दुकानों पर फोर्टिफाइड चावल के संबंध में पोस्टर/बैनर के साथ इसे उचित रूप से प्रदर्शित करें।

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने फोर्टिफाइड चावल के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों के बीच विशेष अभियान चलाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को परामर्शिका भी जारी की है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 07.02.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 817 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जनवरी, 2023 से जनवरी, 2024 तक एनएफएसए लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल के वितरण को दर्शाने वाला विवरण		
क्र. सं.	जिला	वितरित मात्रा (टन में)
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	70184
2	अनकापल्ली	43757
3	अनंतपुर	126146
4	अन्नमय्या	43120
5	बापतला	16594
6	चित्तूर	63159
7	पूर्वी गोदावरी	14634
8	एलुरु	25030
9	गुंटूर	22761
10	वाईएसआर कडपा	107895
11	काकीनाडा	16570
12	डॉ.बी.आर.आंबेडकर कोनसीमा	16083
13	कृष्णा	18361
14	कुरनूल	128429
15	मन्यम पार्वतीपुरम	61882
16	नांदयाल	43110
17	एसपीएसआर नेल्लोर	35904
18	एनटीआर	23093
19	पलनाडु	18737
20	प्रकाशम	70872
21	तिरुपति	52818
22	श्री सत्य साईं	57637
23	श्रीकाकुलम	47487
24	विशाखापत्तनम	34611
25	विजयनगरम	106084
26	पश्चिम गोदावरी	16995
कुल		1281952

*****